# न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
अपील सं. 41/2018

1. गुरदेवा बाई पत्नि स्व० गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी चक वजीदा गुबाया तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. कृष्णा कौर पुत्री स्व० गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी चक खीवा गुबाया तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
3. गुरदीप सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी चक वजीदा गुवाया तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जंगीर सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)।
3. जसवंत सिंह पुत्र स्व0 हरबंस कौर पुत्री स्व० गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी फत्तुडींगा तहसील व जिला कपूरथला (पंजाब)।
4. अंग्रेज सिंह पुत्र स्व0 हरबंस कौर पुत्री स्व० गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी फत्तुडींगा तहसील व जिला कपूरथला (पंजाब)।
5. मनजीत कौर पुत्री स्व० हरबंस कौर पुत्री स्व० गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी फत्तुडींगा तहसील व जिला कपूरथला (पंजाब)।
6. कैलाश कौर पुत्री स्व० हरबत दौर पुत्री स्व० गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी फत्तुडींगा तहसील व जिला कपूरथला (पंजाब)।
7. लालोबाई पत्नि बलवंत सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी चक वजीदा गुबाया तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
8. सतनाम सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी चक वजदा गुबाया तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
9. नरेश सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र स्व० गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी चक वजीदा गुबाया तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
10. चिन्ताबाई पुत्री बलवंत सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति रायसिख निवासी चक वजीदा गुबाया तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं० 24 तहसीलदार, टिब्बी जिसकी रूह से चक 6 एफ टी पी की 6.325 हैक्टयर भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष में किया गया, बमुराद मन्सुखी उक्त इन्तकाल किये जाने उक्त व स्वीकार अपील!

उपस्थितः— 1. श्री सोमप्रकाश शर्मा अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री राजेन्द्र महरोलिया अभिभाषक रेस्पा 02
3. श्री वीरेन्द्र गुप्ता अभि[illegible] 03 [illegible]
4. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभि[illegible] ([illegible]0 सं0 01)

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयः

दिनांकः— 04.12.2024

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 के पति व अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता व रेस्पोडैन्ट संख्या [illegible] से 6 के नाना व रेस्पोडैन्ट संख्या 7 के ससुर व रेस्पोंडैन्ट संख्या 8 से 10 के दादा श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री लहणां सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी के नाम से तहसील टिब्बी के चक नं0 6 एफ टी पी के प0नं0 284 / 245 ( 51 ) किला नं0 10–11–20–21, प0नं0 203 / 245 ( 52 ) किला नं0 6 से 9, 12 से 19, 22 से 25, प0नं0 203 / 246 ( 55 ) किला नं0 4 से 7 व प0नं0 274 /246 (56) किला नं० 1 कुल 6.325 हैक्टयर भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार (कस्टोडियम विभाग)



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

द्वारा आवंटित भूमि थी। अर्सा दराज पूर्व श्री गुलाब सिंह परिवार सहित चक वजीदा गुबाया तहसील फाजिल्का जाकर रहने लग गये चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता जगतार सिंह, गुलाब सिंह की बिरादरी के व्यक्ति थे व श्री गुलाब सिंह को रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के पिता पर बिश्वास था इसलिए गुलाब सिंह उक्त वर्णित भूमि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के पिता को हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाने लगे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके पिता जगतार सिंह ने गुलाब सिंह को मृत होने व स्वयं को गुलाब सिंह के विधिक वारिसान होने के मिथ्या अविवाक् कर स्व० गुलाब सिंह की उक्त भूमि अपीलाधीन इन्तकाल नं० 24 दिनांक 24.05.1985 राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त अपीलाधीन आदेश इन्तकाल कतई गलत खिलाफ, विधिविरुद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अपीलान्ट्स उक्त आदेश से व्यथित होकर निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहे है।

रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अलॉटी गुलाब सिंह की मृत्यु होने व रेस्पोडेन्ट स्व० गुलाब सिंह का उतराधिकारी होने के कथन कर अपीलाधीन इन्तकाल जैर अपील जारी करवाया गया है जबकि अपीलाधीन इन्तकाल जैर अपील दिनांक 24.05.1985 को स्वीकृत किया गया है व दिनांक 24.05.1984 को अलाटी गुलाब सिंह जीवित था। गुलाब सिंह की मृत्यु दिनांक 17.12.1986 को हुई है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 द्वारा मिथ्या व गलत अविवाक् कर अपीलाधीन इन्तकाल जैर अपील हासिल किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल जैर अपील दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा अलाटी जीवित है अथवा नही के सम्बन्ध में कोई जांच नही की गई तथा न ही इस सम्बन्ध में जांच की गई कि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 अलाटी गुलाब सिंह का वारिस है अथवा नही व बिना जांच किये अपीलाधीन आदेश इन्तकाल पारित किया गया है जो अपारत किये जाने योग्य है। अपीलांटस स्व० गुलाब सिंह के विधिक वारिसान है लेकिन रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा न तो गुलाब सिंह के विधिक वारिसान सम्बन्धी कोई जांच पडताल की गई तथा न ही अलाटी स्व० गुलाब सिंह के विधिक वारिसान अपीलांटस को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया जो स्पष्टतयः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपारत्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडैन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से सांठ गांठ कर गलत बयानी व तथ्य पेश कर अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज करवाया गया है व रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को अनुचित लाभ देने के आशय से अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन इन्तकाल का अपीलांट को पूर्व में कोई ज्ञान नही था। अपीलांट संख्या 1 के पति व अपीलांट संख्या 2 से 3 के पिता अर्सा दराज पूर्व गुलाब सिंह परिवार सहित गांव बशीर से पंजाब जाकर बस गये। चूंकि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के पिता जगतार सिंह गुलाब सिंह की बिरादरी के व्यक्ति थे व श्री गुलाब सिंह को रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के पिता पर बिश्वास था इसलिए श्री गुलाब सिंह प्रश्नगत् भूमि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के पिता श्री जगतार सिंह को ही हिस्सा व ठेका पर दिया करते थे व जगतार सिंह की मृत्यु के बाद श्री गुलाब सिंह द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को हिस्सा ठेका पर दी जाती रही तत्पश्चात अपीलांट द्वारा भी उक्त भूमि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को ही हिस्सा ठेका पर दी जाती रही है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भी समय समय पर हिस्सा ठेका की राशि अपीलांट को अदा की जाती रही है। लेकिन गत् 2 वर्ष से अपीलांट द्वारा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 से हिस्सा ठेका की मांग की तो रेस्पोडैन्ट संख्या 2 ने कोई सन्तोषप्रद उतर नही दिया व गत् माह अगस्त / 2018 को रेस्पोडैन्ट संख्या 2 ने यह कहते हुए हिस्सा ठेका व भूमि का कब्जा वापिस देने इन्कार कर दिया कि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 ने उक्त भूमि येनकेन प्रकारेण राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा ली है। जिस पर अपीलांटस ने अपने परिचित व्यक्ति वीर सिंह को राजस्व अभिलेख की जांच करने को कहा। जिस पर वीर सिंह ने जांच पडताल की व दिनांक 31.08.2018 को अपीलाधीन इन्तकाल की नकल प्राप्त की जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 31.08.2018 को अपीलाधीन इन्तकाल का ज्ञान हुआ व नकल प्राप्त होने के बाद अपील हेतू आवश्यक खर्चे का इन्तजाम कर आज यह अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। ऐसे विधि विरूद्व पारित अपीलाधीन आदेश इन्तकाल के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई मियाद नही है फिर भी अनावश्यक विवाद बिन्दु से बचने के लिए अपीलांट दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से प्रस्तुत कर रहा है। रेस्पोडैन्ट संख्या 3 से 11 वरवक्त दायरी अपील उपस्थित नही होने के कारण उन्हे बतौर रेस्पोडैन्ट पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडैन्ट संख्या 3 से 11 के हित अपीलांट के सामान है। जो बाद तामील अपीलांट बनना चाहे तो हम अपीलांटस को कोई आपति नही है। अतः अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इन्तकाल नं० 24 दिनांक 24.05.1985 तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी अपारस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट्स सं 02 ता 10 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा लिखित बहस पेश की गयी जिसके तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट सं. 1 के पति व 2 व 3 के पिता रेस्पोडेंट सं. 3 ता 6 के नाना व रेस्पोडेंट सं. 7 के ससुर व रेस्पोडेंट सं. 8 से 10 के दादा श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री लहणा सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमागढ़ के चक 6 एफ.टी.पी. के प.नं. 204 / 245 मु.नं. 51 किला नं. 10, 11, 20, 21 प. नं. 203 / 245 मु.नं. 52 किला नं. 6 से 9, 12 से 19, 22 ता 25 प.नं. 203 / 246 मु.नं. 55 किला नं. 4 ता 7, पं.नं. 204/246 मु.नं. 56 किला नं. 1 कुल 25 बीघा यानि 6.325 है० भूमि– राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा पुख्ता आंवटित थी। जिसे अर्सा दराज से गुलाब सिंह द्वारा ही काश्त किया गया। तत्पश्चात गुलाब सिंह अपने पुश्तैनी गांव चक वजीदा गुबाया तहसील फाजिल्का में निवास करने लगा। उक्त आंवटितशुदा भूमि की देखरेख करने के लिए गुलाब सिंह ने अपने परिचित एवं विरादरी के श्री जगतार सिंह पुत्र श्री अमीर सिंह को सम्भला दी। जगतार सिंह रेल विभाग में कार्यरत था व जगतार सिंह पुत्र अमीर सिंह पुत्र श्री गहना सिंह ग्राम पंचायत अहमदपुरा दारेवाला तहसील मण्डी डबवाली में अपने परिवार सहित निवास करता था। उसके साथ ही उसकी माता जटटो बाई पत्नि अमीर सिंह पुत्र गहणा सिंह निवास करते थे।

अपीलांट सं. 1 के पति व 2 व 3 के पिता गुलाब सिंह पुत्र लहणा सिंह अनपढ़ एवं वृद्ध व्यक्ति थे व इस कृषि भूमि को जगतार सिंह हीं सार सम्भाल करते थे। गुलाब सिंह को जगतार सिंह पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन रेस्पोडेंट सं. 1 ने गुलाब सिंह की अनपढ़ता व वृद्ध अवस्था का फायदा उठाकर दिनांक 17.06.1984 को गुलाब सिंह को मृतक दिखाकर स्वयं को गुलाब सिंह का उत्तराधिकारी बताते हुए स्वयं को मैनेजिंग आफिसर पुर्नवास विभाग से गुलाब सिंह के जीते जी उत्तराधिकारी घोषित करवाकर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करवा लिया। जबकि गुलाब सिंह दिनांक 17.06.1984 को जीवित था। गुलाब सिंह की मृत्यु 17.12.1986 को उसके गांव वजीदा गुबाया फाजिल्का में हुई थी। जिसका मृत्यु प्रमाण बतौर साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। चूंकि जंगीर सिंह पुत्र जगतार सिह पुत्र अमीर सिंह पुत्र श्री गहणा सिंह का स्व० गुलाब सिंह से किसी भी प्रकार का कोई रक्त सम्बन्ध नहीं था। जंगीर सिंह द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत तथ्य पेश कर स्व० गुलाब सिंह के जीवित अवस्था में उसका उत्तराधिकारी बताते हुए स्वयं को मैनेजिंग आफिसर से उत्तराधिकारी घोषित करवाकर स्वव गुलाब सिंह को आवंटित भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जबकि यह विधिक स्थिति स्पष्ट है कि किसी भी राजस्व न्यायालय या अन्य को मृतक के विधिक वारिसान घोषित करने की अधिकारिता नहीं है। मात्र सिविल न्यायालय ही मृतक के विधिक उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। इस विधिक स्थिति को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आर. बी. जे. 2012 पेज 644 से 649 में बखुबी स्पष्ट किया है। जिससे जंगीर सिंह द्वारा उत्तराधिकारी घोषित करवाने की गई तमाम कार्यवाही स्व० गुलाब सिंह के सही विधिक वारिसानों के हितों पर कतई निष्प्रभावी है। इंतकाल सं. 24 इसी दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया है जो कतई खिलाफ कानून व लैण्ड रेवन्यू एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को साबित करने के लिये मृत्यु प्रमाण पत्र व यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत टाहली वाला वजीदा पेश किया है। इसके साथ एक सत्यापित कोई ग्राम पंचायत वजीदा गुबाया मय तस्दीक नम्बरदार, सरपंच इत्यादि पेश किया है जिससे यह स्पष्ट है कि जंगीर सिंह रेस्पोडेंट सं. 2 का स्व0 गुलाब सिंह से कोई विधिक या रक्त सम्बन्ध नहीं था।

अपीलाधीन इंतकाल अपीलांट को बिना कोई सुनवाई का मौका दिये व अपीलांट को धोखा में रखकर दर्ज करवाया गया है। जिससे उक्त इंतकाल अपीलांट के हितों पर कतई निष्प्रभावी है। जो इंतकाल अवैधानिक व बिना सुनवाई के अवसर दिये पारित किया गया हो उस इंतकाल को चुनौती देने में हुई देरी का प्रश्न ही नहीं है इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय आर. आर. टी. 2018 (1) पेज 186 में स्पष्ट किया है कि अगर इंतकाल बिना सुने व अवैधानिक हो तो अपील पेश होने में हुई देरी माफ करने योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय आर. आर. डी. 2013 (1) पेज 436 में स्पष्ट किया है कि जहां फॉड प्ले किया हो वहां डिले का प्रश्न ही नहीं है। उस इंतकाल को कभी भी चुनौती दी जा सकती है।

जंगीर सिंह ने अपनी दादी जटटो बाई पत्नि अमीर सिंह को भी गुलाब सिंह पुत्र लहणा सिंह की पत्नि दर्शा कर एक फर्जी वसीयत तैयार करवाई जो जटटो बाई की मृत्यु से मात्र 6 दिन पूर्व ही तैयार करवाई थी। जिसके सम्बन्ध में भी अन्य न्यायालयों मे मामले विचाराधीन होने के उपरान्त उक्त वसीयत को खारिज कर दिया था। रेस्पोडेंट सं. 2 जंगीर सिंह द्वारा स्व० गुलाब सिंह आवंटित भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के हर संभव प्रयास किये। जटटो बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र मण्डी डबवाली से दिनांक 17.03.2012 व 07.03.1983 को बनाया गया। जबकि जटटो बाई का भी स्व० गुलाब सिंह से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं था। रेस्पोडेंट सं. 2 जंगीर सिंह द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे रेस्पोडेंट सं. 2 स्वयं या उसकी दादी जटटो बाई का सम्बन्ध स्व० गुलाब सिंह से हो जबकि अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत सहीवाला तहसील फाजिल्का जो जंगीर सिंह पुत्र जगतार सिंह का पुश्तैनी गांव है, का वारिसनामा ग्राम पंचायत से तस्दीकशुदा स्व0 अमीर सिंह पुत्र गहना सिंह के वारिसान के सम्बन्ध में पेश किया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा स्व० अमीर सिंह पुत्र गहणा सिंह के जायज वारिसान जारी कर तस्दीक किया गया है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत अहमद पुरा दारेवाला द्वारा भी स्व0 अमीर सिंह पुत्र गहणा सिंह वारिसानों की तस्दीक दिनांक 01.01.1991 को कर यह स्पष्ट किया है कि जंगीर सिंह पुत्र जगतार सिंह पुत्र अमीर सिंह पुत्र गहणा सिंह व जटटो बाई बेवा अमीर सिंह पुत्र स्व0 गहणा सिंह ही स्व0 अमीर सिंह के विधिक वारिसान है। इसके साथ साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डबवाली की ग्राम पंचायत दारेवाला की 1971 की मतदाता सूची सं. 82 से 84 पेश कर साबित किया है कि अमीर सिंह पुत्र गहणा सिंह जो रेस्पोडेंट सं. 2 जंगीर सिंह का सगा दादा है व जटटो बाई स्व0 अमीर सिंह की पत्नि है। जगतार सिंह पुत्र अमीर सिंह रेस्पोडेंट सं. 2 जंगीर सिंह का पिता है। इसके साथ साथ रेस्पोडेंट सं. 2 के दादा अमीर सिंह के नाम की जमाबंदी सन 1999 से 2000 पेश की है व इसके अलावा अपीलांट द्वारा जंगीर सिंह बनाम जंगीर सिंह मामले में मघाराम पुत्र रमण लाल के बयान सिविल न्यायाधीश टिब्बी न्यायालय में कलमबद्ध हुए पेश किये हैं जिनमें भी जगतार सिंह पुत्र अमीर सिंह की तस्दीक हुई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा तमाम दस्तावेज जो पब्लिक दस्तावेज हैं जिन्हें सही माने जाने का कानूनी क्यास है।

जंगीर सिंह द्वारा जबाब के पैरा सं. 3 में स्वयं ने जमीन को गुलाब सिंह पुत्र लहणा सिंह को आवंटित होना माना है व इस भूमि को रेस्पोडेंट सं. 2 ने अपने नाम दर्ज करवाने के उददेश्य से राजस्व रिकार्ड में हेर फेर की व गुलाब सिंह को अमीर सिंह कहने के कथन किये अर्थात गुलाब सिंह को रिकार्ड में अमीर सिंह बनाने की भरसक कोशिश की व अपनी दादी जटटो बाई को भी रिकार्ड में हेरफेर कर गुलाब सिंह की पत्नि दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाये। यह तमाम कार्यवाही फर्जकारी कर की गई है जो मात्र रिकार्ड का अवलोकन करने से ही स्पष्ट हो जाती है। रेस्पोडेंट सं. 2 के इस जमीन को लेकर गांव बशीर में झगडे चले व एक जंगीर सिंह पुत्र जगतार सिंह अपने आप को असली जंगीर सिंह बताते हुए इस कृषि भूमि बाबत वाद पत्र पेश किये गये। न्यायालय सिविल न्यायाधीश टिब्बी में मुकदमा सं. 31 / 95 जंगीर सिंह बनाम जंगीर सिंह चला जिसमें रेस्पोडेंट सं. 2 जंगीर सिंह के हक में निष्पादित वसीयत फर्जी मानकर खारिज कर दी गई चूंकि उक्त जमीन हम अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 3 से 10 के पूर्वज गुलाब सिंह पुत्र लहणा सिंह जाति रायसिख की पुर्नवास विभाग से पुख्ता आंवटित भूमि थी। उक्त भूमि की सार सम्भाल करने बाबत ही रेस्पोडेंट सं. 2 के पिता जगतार सिंह पुत्र अमीर सिंह को [illegible] रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त जमीन अपने नाम करवाकर हम अपीलांट का हक मार दिया व अवैधानिक तरीके से राजस्व रिकार्ड में हेर फेर कर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करवाया है जो किसी भी प्रकार से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा जटटो बाई पत्नि अमीर सिंह के सम्बन्ध को हम अपीलांट के पूर्वज गुलाब सिंह के साथ कानूनी जामा पहनाने के लिए उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़, राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर, राजस्व मण्डल अजमेर में कार्यवाहीयां की जिनमें प्रत्येक न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 जंगीर सिंह के वाद पत्रों व उसके द्वारा की गई कार्यवाहीयों को खारिज किया। रेस्पोडेंट सं. 2 जंगीर सिंह इन सभी अदालतों में कुछ भी साबित नहीं कर पाया। जहां यह गौरतलब है कि जिस कृषि भूमि के लिए झगड़े फसाद अदालतों में चले किसी भी मामला में हम अपीलांट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested

30



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पक्षकार नहीं बनाया व ना ही हम अपीलांट को कोई सुनवाई या साक्ष्य का अवसर ही दिया। जबकि अपीलाधीन इंतकाल में वर्णित भूमि हम अपीलांट के पूर्वज स्व० गुलाब सिंह की पुख्ता आंवटित भूमि थी। माननीय राजस्व मण्डलं अजमेर द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी डिक्री या आदेश प्रभावित पक्षकार को बिना सुने पारित किया जाता है तो वह कायम रखे जाने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की न्याय निर्णय नजीर आर. बी. जे. 2012 पेज 649 स्पष्ट है। जहां तक रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 ए व 80 आर.एल. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय को उक्त अपील सुनने की अधिकारिता नहीं है। अपीलांट इस सम्बन्ध में निवेदन करते हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से विधिक बल नहीं रखता क्योंकि मनैजिंग आफिसर का पद विलोपित हा चुका है व पुर्नवास अधिनियम भी समाप्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू–राजस्व अधिनियम में मर्ज हो चुका है। जिससे अपील 80 एल. आर. एक्ट के तहत दर्ज हो जाने के पश्चात पक्षकारों की तलबी हो जाने की दशा में न्यायालय ही विधिवित निर्णय पारित करेगा। चूंकि मनैजिंग अधिकारी तहसीलदार के समकक्ष होता है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय आर. आर. डी. 2015 पेज 142 में स्पष्ट कर यह माना है कि मैनेजिंग ऑफिसर कम तहसीलदार होता है अर्थात मैनेजिंग ऑफिसर एवं तहसीदार दोनों की शक्तियां समकक्ष है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक बल नहीं रखता व अपीलांट की अपील हर प्रकार से विधि सम्मत व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा अपीलाधीन इंतकाल अवैधानिक तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत तथ्य पेश कर अपने नाम दर्ज करवाया है जिसकी अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट को अगस्त 2018 में सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट सं. 2 ने अपने नाम से दर्ज करवा ली है। जिस पर अपीलांट ने अपने परिचित वीर सिंह को जांच पड़ताल करने हेतु कहा व दिनांक 31.08.2018 को अपीलाधीन इंतकाल का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। जिस पर बिना किसी देरी से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। जहां यह अंकित करना सुसंगत होगा कि जब कोई इंतकाल अवैधानिक तरीके से दर्ज हुआ हो वहां बिलम्ब घातक नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय आर. आर. टी. 2018 पेज 186 में स्पष्ट किया है व जब इंतकाल कार्यवाही में अपीलांट तहसीलदार के समक्ष पक्षकार नहीं तो अपील देरी से प्रस्तुत करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके देरी को माफ करना चाहिए। जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय आर. बी. जे. 2019 पेज 69 में स्पष्ट किया है। इसके साथ साथ आर. बी. जे. 2018 पेज 4 में भी दफा 5 तहत विलम्ब क्षमन के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की है। अतः अपील अपीलांट हर प्रकार से ज्ञान से अंदर मियाद है।

अपीलाधीन इंतकाल रेस्पोडेंट सं. 2 ने अवैधानिक तरीक से व लैण्ड रेवन्यु एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित करवाया है। सर्वप्रथम अपीलांट ने निवेदन किया कि जब रेस्पोडेंट सं. 2 जंगीर सिंह का स्व० गुलाब सिंह से कोई दूर का ही रिश्ता नहीं था तो मनैजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर द्वारा किस आधार पर उसे स्व० गुलाब सिंह का विधिक वारिसान घोषित किया। यह तमाम कार्यवाही फर्जकारी कर हम अपीलांट की कृषि भूमि हड़पने की नियत से की गई है। तर्क के लिहाज से अगर मैनेजिंग ऑफिसर ने रेस्पोंडेंट सं. 2 को स्व0 गुलाब सिंह का उतराधिकारी घोषित कर भी दिया तो भी वह विधि मान्य नहीं है क्योंकि मनैजिंग ऑफिसर या राजस्व न्यायालय या ग्राम पंचायत को किसी मृतक के विधिक वारिसान घोषित करने की अधिकारिता ही नहीं है। केवल सिविल न्यायालय ही अकेला मृतक के विधिक वारिसान घोषित करने की अधिकारिता रखता है। जिससे मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 के सम्बन्ध में की गई विधिक वारिसान की घोषणा विधि विहीन अवैधानिक व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित की गई होने से प्रारम्भ से कतई निष्प्रभावी होने से अपीलाधीन इंतकाल खारिज किये जाने योग्य है व पुनः हम अपीलांट जो स्व० गुलाब सिंह की पत्नि, पुत्र व पोते पोत्रियां हैं के नाम से उक्त 25 बीघा भूमि का इंतकाल दर्ज किये जाने योग्य है जो हर प्रकार से विधि सम्मत है।

रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा अपीलाधीन इंतकाल में अपनी जबाबदेही व प्रस्तुत दस्तावेजों से कहीं यह साबित नहीं होता कि रेस्पोडेंट सं. 2 गुलाब सिंह का बेटा या अन्य कोई दूर का भी रिश्तेदार हो। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज अपनी वलदियत के सम्बन्ध में पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेंट सं. 2 अपीलांट या स्व० गुलाब सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

से कोई सम्बन्ध रखता हो जबकि स्व० गुलाब सिंह व रेस्पोडेंट सं. 2 के गांव व वलदीयत भी अलग अलग हैं। जिससे रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करवाते समय की गई फर्जकारी व राजस्व रिकार्ड से हेरफेर बखूबी स्पष्ट है। अतः लिखित बहस अपीलांट पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन इंतकाल सं. 24 निरस्त कर पुनः अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 3 से 10 के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये।

लिखित बहस रेस्पोडेंट संख्या 2 इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 के दादा गुलाब सिंह पुत्र लहणा सिंह को गांव बशीर तहसील टिब्बी चक 6 एफटीपी में भारत सरकार कस्टोडियन विभाग श्रीगंगानगर से 25 बीघा कृषि भूमि अलॉट हुई थी। रेस्पोडेंट संख्या 2 के दादा का दूसरा नाम अमीर सिंह भी था। रेस्पोडेंट संख्या 2 के दादा का रिश्तेदार रांझा सिंह हमारी कृषि भूमि को हिस्सा पर काश्त करता था। सन् 1976 में प्रार्थी के दादा की मृत्यु होने के बाद रांझा सिंह बेईमान हो गया और उसने जमीन छोड़ने से इन्कार कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या 2 की दादी जटोबाई ने उक्त कृषि भूमि की वसीयत मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता श्री जगतार सिंह की सहमति से मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में कर दी। इस वसीयत के आधार पर कस्टोडियन विभाग श्रीगंगानगर के मैनेजिंग ऑफिसर ने अपने आदेश दिनांक 23.06.1977 मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 को गुलाब सिंह व जट्टोबाई का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 उस समय नाबालिग था। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील में प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश दिनांक 23.06.1977 के आधार पर इंतकाल संख्या 24 दिनांक 24.05.1985 राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार टिब्बी ने मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम कर दिया

मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.06.1977 के आधार पर पत्र क्रमांक 2391 व सनद संख्या 1358 दिनांक 31.03.1983 मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में जारी किये जिसकी प्रति तहसीलदार टिब्बी को भेजी गई। सनद संख्या 1358 दिनांक 31.03.83 के आधार पर इंतकाल संख्या 25 दिनांक 24.05.85 मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 जंगीर सिंह के नाम से तहसीलदार टिब्बी ने दर्ज किया। पत्र क्रमांक 2391 व सनद संख्या 1358 व इंतकाल संख्या 25 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जा रही है। खातेदारी इंतकाल नंबर 25 दर्ज होने के बाद राजस्व रिकार्ड में उक्त जमीन मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 जंगीर सिंह के नाम चली आ रही है। उपखण्डाधिकारी टिब्बी के आदेश दिनांक 16.09.2002 की अनुपालना में उक्त कृषि भूमि का कब्जा मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के पास चला आ रहा है, यह निर्णय दिनांक 16.09. 2002 उच्च न्यायालय तक बहाल रहा है। फोटो प्रति निर्णय दिनांक 16.09.2002 व उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.2014 संलग्न पत्रावली है।

जब रांझा सिंह को पता चला कि उक्त जमीन मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 जंगीर सिंह के नाम से हो गई है, तब रांझा सिंह ने अपने सगे भानजे कशमीर सिंह पुत्र काला सिंह को सन् 1983 में फर्जी जंगीर सिंह पुत्र जगतार सिंह बनाकर मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 की जमीन को हड़प करने की कोशिश करता रहा। कशमीर सिंह ने अपने आपको जंगीर सिंह साबित करने के लिए फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाये। कशमीर सिंह वगैरा के खिलाफ फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के संबंध में फर्जकारी का मुकदमा नंबर 4 / 1988 अंतर्गत धारा 467, 468, 419, 420, 471, 120बी आईपीसी पुलिस थाना संगरिया में दर्ज करवाया गया। इस फौजदारी मुकदमा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया ने मुलजिम कशमीर सिंह को दोषी मानते हुए अपने आदेश दिनांक 04.10.2006 से दण्डित किया गया। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जा रही है। इस तरह से कशमीर सिंह पुत्र काला सिंह के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में फौजदारी, दीवानी मुकदमें उच्च न्यायालय तक चलते रहे है। फौजदारी मुकदमा में फर्जी कशमीर सिंह को दोषी मानकर सजा से दण्डित किया गया और दीवानी मुकदमों के निर्णय मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में हुये है। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 21.0[illegible] डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जा रही है। कशमीर सिंह की मृत्यु दिनांक [illegible]9.20[illegible] में हो गई थी। अपीलाण्ट्स गुरदेवा बाई वगैरा वास्तव में प्रीतम [illegible] वजीदा तहसील जलालाबाद (पंजाब) के वारिसान है [illegible] गांव चक वजीदा की वोटरलिस्ट सन् 1983 व 2021 से साबित है। वोटरलिस्ट [illegible]बी व हिन्दी अनुवाद की फोटो प्रति संलग्न पत्रावली है।

अपीलाण्ट्स ने षडयंत्र रचकर मिथ्या, बनावटी व झूठे अभिकथन करके पंचायत से फर्जी वारिसनामा व फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाकर मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 की जमीन को हड़प करने की नियत से माननीय न्यायालय को गुमराह कर व धोखे में रखकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

यह फर्जी अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट्स गुरदेवा बाई वगैरा व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 10 के खिलाफ उक्त फर्जी दस्तावेज तैयार करने का फर्जकारी का मुकदमा नंबर 552 / 2019 पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन में दर्ज है जिसकी जांच चल रही है। एफ आई आर की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जा रही है। अपीलाण्ट गुरदेवा बाई ने मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 जंगीर सिंह के खिलाफ फर्जकारी का मुकदमा पुलिस थाना टिब्बी में दर्ज करवाया। टिब्बी पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि अपीलाण्ट्स फर्जी है और प्रीतम सिंह पुत्र नागर सिंह के वारिसान है, मुकदमा अदमवकू झूठा पाया गया। पूर्ण विवरण पुलिस ने अपनी जांच में दर्ज किया है। एफ आई आर व एफ. आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश की जा रही है। इस एफ आई आर में अपीलाण्ट गुरदेवा बाई ने दर्ज किया है कि हमने जमीन अपने रिश्तेदार कशमीर सिंह को काश्त करने के लिए संभलवा रखी थी जबकि अपीलाण्ट्स ने अपील में यह अंकित किया है कि हमने जमीन अपने परिचित जगतार सिंह को सार संभाल करने के लिए दे रखी थी। इससे प्रमाणित है कि अपीलाण्ट फर्जी है और अपनी मर्जी से मिथ्या व मनगढन्त अलग अलग कथन कर रहे है। अपीलाण्ट गुरदेवाबाई के पति प्रीतमसिंह पुत्र नागर सिंह ने भी फर्जी गुलाब सिंह पुत्र लहणा सिंह बनकर कस्टोडियन विभाग के उक्त आदेश दिनांक 23.06.1977 को चीफ सैटलमेंट कमिशनर श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 07.08.1981 निगरानी प्रस्तुत करके चुनौती दी थी जो दिनांक 23.09.1985 को अदम पैरवी में खारिज हो गई। निगरानी व फर्द अहकाम दिनांक 23.9.85 की फोटो प्रति साथ पेश की जा रही है ।

अब अपीलाण्ट्स गुरदेवा बाई वगैरा अपने रिश्तेदार वीर सिंह से मिलकर व मृतक कशमीर सिंह के वारिसान से मिलकर उनसे फर्जी दस्तावेज लेकर व इंतकाल नंबर 24 की नकल लेकर मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 की जमीन को हडप करने की नियत से यह फर्जी अपील प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार टिब्बी ने कस्टोडियन विभाग के मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.06.1977 की अनुपालना में उक्त इंतकाल नंबर 24 मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज किया है। तहसीलदार टिब्बी ने पृथक से कोई मूल आदेश जारी नहीं किया है। अपीलाण्ट्स गुरदेवा बाई वगैरा ने मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2021 के जबाव में यह स्वीकार किया है कि मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर ने अपने आदेश 23.6.1977 में तो गुलाब सिंह का उत्तराधिकारी घोषित किया है। इंतकाल संख्या 24 तहसीलदार टिब्बी ने अपने विवेक से जंगीर सिंह के नाम दर्ज किया है। क्या तहसीलदार को पहले से ही जानकारी थी कि इंतकाल संख्या 24 अकेले जंगीर सिंह के नाम से ही दर्ज करना है। अपीलाण्ट्स तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे है ताकि माननीय न्यायालय को गुमराह किया जा सके। अपीलाण्ट्स के मुखत्यारेआम वीर सिंह का भाई बलवीर सिंह पुत्र महताब सिंह मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 का मुखत्यारेआम था जिसने मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 की तरफ से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ के न्यायालय में कशमीर सिंह वगैरा के खिलाफ फर्जकारी का मुकदमा दर्ज करने बाबत वर्ष 1987 में पेश किया था जिस पर न्यायालय के आदेश से पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में एफ आई आर नंबर 70 / 87 दर्ज हुई और कशमीर सिंह वगैरा के खिलाफ बाद जांच न्यायालय में चालान पेश किया गया। दिनांक 12.11.2009 को बलवीर सिंह ने मुझे शपथ पत्र लिखकर दिया कि मेरा भाई वीर सिंह जेल में बन्द है इसलिए हम आपके मुकदमों की पैरवी नहीं कर सकते। अब वीर सिंह के मन में बेईमानी आ गई है, इसलिए वीर सिंह ने अपीलाण्ट्स गुरदेवाबाई वगैरा से मिलकर पंजाब से फर्जी पंचायत के दस्तावेज तैयार करवाकर बेईमानीपूर्वक मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 की जमीन को हड़प करने की नियत से यह फर्जी अपील प्रस्तुत की है। उक्त इस्तगासा की प्रमाणित प्रतिलिपि व हल्फनामा की फोटो प्रति अपील में पेश की हुई है। कशमीर सिंह पुत्र काला सिंह ने अपनी [illegible] पत्नी बुधाबाई की वोट फर्जी जंगीर सिंह पुत्र जगतार सिंह व बुधाबाई पत्नी जंगीर सिंह के नाम से गांव बशीर में बनवा ली जिस पर ऐतराज होने पर उपखण्डाधिकारी [illegible] को अपने आदेश दिनांक 27.11.1992 में हटा दिया था। [illegible] ने उक्त आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 30.03.19[illegible] को खारिज फरमाई गई। इस आदेश में भी मैनेजिंग ऑफिसर के आदेश दिनांक 23.06.77 का हवाला दिया गया है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट्स गुरदेवाबाई वगैरा का कथन है कि हमें उक्त इंतकाल नंबर 24 की जानकारी सर्वप्रथम अगस्त 2018 में हमारे परिचित वीर सिंह द्वारा जांच पड़ताल करने पर प्राप्त हुई है जबकि अपीलाण्ट गुरदेवाबाई का पति प्रीतम सिंह पुत्र नागर सिंह फर्जी गुलाब



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सिंह पुत्र लहणा सिंह बनकर मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.06.1977 को [illegible] सैटलमेंट ऑफिसर महरोलिया श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 07.08.1981 को निगरानी प्रस्तुत करके चुनौती दी है जो दिनांक 23.09.1985 को आदम पैरवी में खारिज हुई है। अपीलाण्ट का कथन है कि सिविल न्यायालय टिब्बी ने मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में की गई वसीयत को दिनांक 18.08.2003 खारिज कर दिया था। अपीलाण्ट्स की तरह फर्जी जंगीर सिंह ने कूटरचित व फर्जी दस्तावेज सिविल न्यायालय टिब्बी में प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करके धोखे में रखा। इस कारण से सिविल न्यायालय टिब्बी ने वसीयत को खारिज कर दिया। सिविल न्यायालय टिब्बी के उक्त आदेश दिनांक 18.08.2003 व डिग्री खिलाफ अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 21.07.2016 में मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में की गई वसीयत को सही मानकर बहाल किया गया व फर्जी जंगीर सिंह के दावा को खारिज किया और फर्जी जंगीर सिंह को कशमीर सिंह पुत्र काला सिंह घोषित किया। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व डिग्री की प्रति पेश की जा रही है ।

मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के दादा गुलाब सिंह की मृत्यु दिनांक 10.04.1976 व दादी जट्टोबाई की मृत्यु दिनांक 26.06.1976 को हुई थी जिसका हवाला अपर जिला न्यायाधीश संख्यां 2, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 21.07.2016 में दिया हुआ है। मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के दादा व दादी की मृत्यु के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही करके कस्टोडियन विभाग के मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर ने अपने उक्त आदेश दिनांक 23.06.1977 में मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 को उत्तराधिकारी घोषित किया है। अपीलाण्ट्स गुरदेवाबाई वगैरा जानबूझकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के दादा की मृत्यु की तारीख 17.06.1984 व दादी की मृत्यु की तारीख 17.03.2012 व 07.03.1983 अपनी लिखित बहस में गलत अंकित कर रहे है। अपीलाण्ट्स गुरदेवाबाई वगैरा को हम जानते तक नहीं, ना ही हमारा इनके साथ कोई लेन देन है। गांव बशीर तहसील टिब्बी में इनकी कोई जमीन नहीं है, इसलिए हमें इनको पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के उक्त कशमीर सिंह (फर्जी जंगीर सिंह) के साथ मुकदमें चलते रहे है, इनका रिश्तेदार कश्मीर सिंह इनको पक्षकार बना सकता था। जो फर्जी व कूटरचित दस्तावेज उपरोक्तानुसार कशमीर सिंह ने उक्त मुकदमों में प्रस्तुत किये है, वही फर्जी दस्तावेजात का जिक्र अपीलाण्ट्स अपनी लिखित बहस में माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए कर रहे है।

अपीलाण्ट्स ने बार बार इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि मुझ रेस्पोडेंट संख्या 2 के दादा का नाम अमीर सिंह था, इस संबंध में पूर्ण विवरण अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 21.07.2016 व डिग्री में दिया गया है इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया के निर्णय दिनांक 04.10.06 में भी दिया गया है। कशमीर सिंह द्वारा तैयार किये गये फर्जी दस्तावेज का पूर्ण विवरण भी इस निर्णय में दिया गया है। अपीलाण्ट्स ने अपनी लिखित बहस के फिकरा नंबर 9 में यह तथ्य अंकित किया है कि ग्राम पंचायत को किसी मृतक के विधिक वारिसान घोषित करने की अधिकारिता ही नहीं है, मात्र सिविल न्यायालय ही अकेला मृतक के विधिक वारिसान घोषित करने की अधिकारिता रखता है जबकि अपीलाण्ट्स ने पंचायत से फर्जी वारिसान व फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर यह फर्जी अपील प्रस्तुत की है। इनको सिविल न्यायालय में जाना चाहिए। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये कानूनी दृष्टान्त इस अपील में लागू नहीं होते है। अतः लिखित बहस व जबाव लिखित बहस अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट्स भारी हर्जाना सहित खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 सं0 03 [illegible] 10 की ओर से लिखित बहस पेश की गयी जिसके तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 द्वारा [illegible] जंगीर सिंह वल्द जगतार सिंह वल्द अमीर सिंह उर्फ गुलाब सिंह [illegible] कथित करते हुए व स्व० अमीर सिंह उर्फ गुलाबसिंह की पत्नि जट्टोबाई ने रेस्पोडैन्ट [illegible] के पक्ष में वसीयत करवाई हुई है व इसी वसीयत के आधार पर अपीलाधीन इन्तकाल नं० 24 तहसीलदार टिब्बी द्वारा दर्ज व तस्दीक करवाया गया है व उक्त इन्तकाल के विरूद्ध स्व० गुलाब सिंह के वास्तविक विधिक उतराधिकारीयों द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या जट्टोबाई वास्तविक गुलाब सिंह की पत्नि थी या नही व उसे अभिकथित वसीयत करने का अधिकार था अथवा नही तथा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 जंगीर सिंह, स्व० गुलाब सिंह पुत्र लहणा सिंह का विधिक उतराधिकारी है अथवा नही। वास्तविकता यह है कि जट्टा बाई, गुलाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सिंह वल्द लहणा सिंह की पत्नि नही थी व जट्टोबाई, अमीर सिंह की पत्नि थी व अमीर सिंह कभी भी गांव बशीर में आबाद नही रहा। अमीर सिंह व उसकी पत्नि जट्टोंबाई ग्राम पंचायत सहीवाला तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर में निवास करते थे व अमीर सिंह के नुत्फे से जट्टों बाई के तीन पुत्री सन्तान व एक पुत्र सन्तान जिसका नाम जगतार सिंह पुत्र अमीर सिंह था, जगतार सिंह रेलवे विभाग में गैंग मैन के पद पर पदस्थापित था व उसकी सर्विस का समय अधिकतर मण्डी डबवाली रहा व जगतार सिंह का विवाह जमनाबाई से हुआ व जमनाबाई से जगतार सिंह को एक पुत्र सन्तान रेस्पोडैन्ट संख्या 2 जंगीर सिंह हुआ। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सहीवाला तहसील फाजिल्का द्वारा अमीर सिंह पुत्र गहना सिंह के वारिसान का वारिस प्रमाण-पत्र जारी किया हुआ है जिससे स्पष्ट है कि अमीर सिंह, लहणा सिंह का नही बल्कि गहना सिंह का पुत्र था व जट्टोंबाई, गुलाबसिंह की पत्नि नही बल्कि अमीर सिंह की पत्नि थी व अमीर सिंह व जट्टों बाई से उत्पन्न सन्तान का नाम जगतार सिंह था व रेस्पोडैन्ट संख्या 2 स्व0 जगतार सिंह पुत्र अमीर सिंह पुत्र गहना सिंह का पुत्र है। इसी सम्बन्ध में रेस्पोडैन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत अहमदपुरा दारेवाला द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, ऐलनाबाई विधानसभा की वोट लिस्ट सन् 1971, जन्म प्रमाण-पत्र जगतार सिंह व जमाबन्दी सन् 1999 से 2000 व सिविल न्यायधीश टिब्बी में निर्णित जंगीर सिंह बनाम जंगीर सिंह के मामला में मघाराम पुत्र रमनलाल के कलमबद्ध ब्यान से भी अमीर सिंह – गहना सिंह का पुत्र होना व जट्टोबाई अमीर सिंह की पत्नि होना व इन दोनो का पुत्र जगतार सिंह होना व जगतार के रेस्पोडैन्ट संख्या 2 पुत्र होना साबित है, इस प्रकार यह पूर्णतयः स्पष्ट एवं साबित हो जाता है कि स्व० गुलाबसिंह वल्द लहणा सिंह से अमीर सिंह वल्द गहनासिंह, जट्टोबाई पत्नि अमीर सिंह, जगतार सिंह पुत्र अमीर सिंह या रेस्पोडैन्ट संख्या 2 जंगीर सिंह पुत्र जगतार सिंह का दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। जब गुलाब सिंह वल्द लहणा सिंह से जट्टोबाई का कोई सम्बन्ध व सरोकार ही नही था तो श्री गुलाब सिंह वल्द लहणा सिंह के हक हिस्सा की विवादित भूमि में जट्टों बाई का कोई हक हित व अधिकार नही था व न ही उक्त भूमि कभी जट्टो बाई के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। जट्टोबाई को गुलाब सिंह वल्द लहणा सिंह के हक हिस्सा की भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार था व न ही जट्टोबाई द्वारा की गई वसीयत से रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को कोई अधिकार हासिल होते हैं व ऐसी वसीयत के आधार पर किया गया अपीलाधीन इन्तकाल नं0 24 कतई गलत, बिला अधिकार व खिलाफ कानून है जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट व हम रेस्पोडैन्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सरपंच ग्राम पंचायत चक वजीदागवाया द्वारा जारी तस्दीक वारिस प्रमाण-पत्र, मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र गुलाबसिंह आधार कार्ड आदि से स्पष्ट किया है कि हम ही स्व० गुलाब पुत्र लहणासिंह के विधिक वारिसान है व उसके हक हिस्सा की भूमि के हकदार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन इन्तकाल अपीलांट व हम रेस्पोडैन्ट को बिना पक्षकार बनाये व सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर तस्दीक किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

जिसमें विधिक आपतियां इस प्रकार है कि रेस्पोडैन्ट सं0 2 द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत विधिक आपति की गई है कि माननीय न्यायालय को धारा 75 एल आर एक्ट के तहत अपील सुनने की अधिकारीता नही है जिसके सम्बन्ध में हम रेस्पोडैन्टस का कहना है कि उक्त रकबा सन् 1977 को ही राष्ट्रपति भारत सरकार से खातेदारी दर्ज हो चुका था तत्पश्चात दिनांक 07.06.1984 को इस कृषि भूमि का इन्तकाल विधि विरूद्ध तरीका से रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया गया चूंकि उक्त भूमि खातेदारी दर्ज होने के पश्चात कस्टोडियन एक्ट के नियम इस भूमि पर लागू नही होते हैं। रेस्पोडैन्ट संख्या 2 द्वारा कस्टोडियन एक्ट के जो गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत किये हैं वह उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से चस्पा नही होते क्योकि कस्टोडियन एक्ट सन् 2005 में रिपिल होकर राजस्थान काश्तकारी एवं लैण्ड रैवन्यू एक्ट में मर्ज हो चुका है, जिस कारण अपीलाधीन इन्तकाल के विरूद्ध अपील 75 एल आर एक्ट के तहत तत्समय विधि द्वारा स्थापित होने के कारण सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही हासिल है। यह कि इसके अलावा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष फौजदारी प्रकरणों के निर्णय पेश किये गये हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन किया कि राजस्व न्यायालय में फौजदारी प्रकरणों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय प्रभावहीन है व उनका राजस्व न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों पर कोई प्रभाव नही है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। इस सम्बन्ध में आर आर डी 1992 पेज 670 व पेज 642 पर प्रतिपादित निर्णय स्पष्ट हैं।



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडैन्ट संख्या 3 से 10 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन इन्तकाल सं0 24 निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। जिला पुनर्वास अधिकारी/मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.06.1977 की पालना में तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा ईन्तकाल सं0 24 दिनांक 24.05.1985 दर्ज किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व श्रीमान जिलाधीश प्राधिकृत चीफ सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी पेश हुई। जिला पुनर्वास अधिकारी/मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.06.1977 के विरूद्ध पेश निगरानी 23.09.1985 को अदम पैरवी में खारिज की गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 10.09.2018 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अपीलांट द्वारा प्रश्नगत ईन्तकाल सं0 24 दिनांक 24.05.1985 के संबंध में अपील प्रस्तुत होने तक की अवधि तक देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। जिला पुनर्वास अधिकारी/मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.06.1977 की पालना में तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा ईन्तकाल सं0 24 दिनांक 24.05.1985 दर्ज किया गया है। तब से रेस्पो0 सं0 02 के नाम खातेदारी चली आ रही है। वर्तमान में उक्त भूमि रेस्पो0 सं0 02 के नाम खातेदार है, खातेदारी नाम public domain/ online भी है। ऐसी स्थिति में यह बात स्वीकार योग्य नहीं है कि उक्त प्रश्नगत ईन्तकाल की जानकारी नहीं रही हो। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत ईन्तकाल की जानकारी न होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा लगभग 39 साल बाद इस ईन्तकाल को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसका स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया है। अतः ईन्तकाल के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 04.12.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीणा)
अपर जिला कलक्टर
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:42 IST
Reason: SelfAttested